

कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।

आयुक्त सभागार, तल्लीताल, नैनीताल,

Website: www.ddantl.org.in, E-mail- secretary@ddantl.org.in

पत्रांक-2123/नैजिप्रि/2022-23

दिनांक 09/12/2022

अधिसूचना

चूंकि, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा नैनीताल महायोजना 1995-2011 में संशोधन, जैसा कि नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित हैं, करना चाहते हैं। अतएव उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन-2013) की धारा-13 (3) के उपबंधों के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना आम जन से निम्नलिखित प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जाती है। सभी आपत्तियां एवं सुझाव उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल को सम्बोधित एवं लिखित रूप से 03 प्रतियों में प्रेषित की जानी चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के भीतर प्राप्त होंगे। उक्त विज्ञप्ति प्राधिकरण की वेबसाईट-www.ddantl.org.in पर भी देखी जा सकती है:-

क्र. सं.	स्थल का नाम	भूखण्ड क्षेत्रफल	महायोजना में वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	हारमौनी हॉल कम्पाउण्ड, मल्लीताल, नैनीताल।	2582 वर्गफीट अर्थात् 239.96 वर्गमीटर	होटल लॉजेज	आवासीय

उपाध्यक्ष,

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल।

